राजस्थान विधान सभा

(सामान्य शाखा)

बुलेटिन भाग – 2

(विधान सभा के कार्य तथा अन्य विषयों के बारे में सामान्य जानकारी)

संख्या: 41 दिनांक: 01 जून, 2018

राजस्थान विधान सभा के समस्त माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि माननीय सदस्यों के सुविधार्थ विधान सभा भवन के भूतल स्थित कक्ष संख्या:748 में जिला प्रशासन के द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र (यू.आई.डी. कार्ड) बनाये जाने एवं आधार कार्ड में संशोधन के साथ ही भामाशाह कार्ड बनवाने हेतु दिनांक 04 से 06 जून, 2018 को प्रात: 11:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक तीन दिवसीय शिविर आयोजित किया जा रहा है।

अत: माननीय सदस्यों से निवेदन है कि यदि आप या आपके परिवारजन इस शिविर में आधार कार्ड व आधार कार्ड में संशोधन एवं भामाशाह कार्ड बनवाने के इच्छुक हों, तो कृपया निम्नांकित दस्तावेज़ के साथ उपस्थित होने का श्रम करें, ताकि भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र एवं भामाशाह कार्ड बनवाने में कोई असुविधा न हो।

आधार कार्ड व संशोधन हेतु आवश्यक दस्तावेज

1. पहचान संबंधी दस्तावेज।
2. पता संबंधी दस्तावेज।
3. जन्मतिथि संबंधी दस्तावेज।

भामाशाह कार्ड हेतु आवश्यक दस्तावेज

1. परिवार के मुखिया एवं परिवार के सभी सदस्यों की एक एक फोटोग्राफ।
2. परिवार के मुखिया(महिला) के कोर बैंक पासबुक की छाया।
3. आधार संख्या या आधार नामांकन की संख्या होना आवश्यक है।
4. मूल निवास, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मतदान पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, बिजली, पानी, गैस कनेक्शन, टेलीफोन बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, बी.पी.एल. कार्ड, नरेगा जॉब कार्ड, आदि (जो भी आप के पास है) दस्तावेजों की प्रति।

दिनेश कुमार जैन
सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर-302 005